न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा

पीठासीन अधिकारीः– श्रीमती अमिता बिश्नोई आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्याः– 071/2021

1. भंवरलाल उर्फ हंसराज पुत्र श्री कृष्णलाल जाति कुम्हार साकिन जाखड़ावाली तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।

– – वादी

–:बनाम:–

1. रेशमा देवी पत्नी श्री कृष्णलाल जाति कुम्हार साकिन जाखड़ावाली तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
2. रामलाल पुत्र श्री कृष्णलाल जाति कुम्हार साकिन जाखड़ावाली तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
3. भागीरथ पुत्र श्री कृष्णलाल जाति कुम्हार साकिन जाखड़ावाली तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
4. शिशपाल पुत्र श्री कृष्णलाल जाति कुम्हार साकिन जाखड़ावाली तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा।

– – प्रतिवादी

दावा अन्तर्गत धारा आर.टी.ए. 88 घोषणा

–:: उपस्थित अभिभाषकगण ::–

1.	श्री शैलेन्द्र कुमार नायक अधिवक्ता	–– **वादी**
2.	श्री शैलेन्द्र बिश्नोई अधिवक्ता	–– **प्रतिवादी सं. 1 ता 4**
3.	राजपैरोकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) पीलीबंगा	–– **प्रतिवादी सं. 5**

–:: निर्णय ::–

दिनांक :– 30/04/2024

वादी एवं प्रतिवादीगण का पंजीकृत पता वही है जो वाद पत्र के शीर्षक में है।

वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 4 के नाम से संयुक्त खाता में कृषि भूमि तहसील पीलीबंगा के चक 4 एस.टी.बी. के खाता सं. 78/72 के प.नं. 81/367 (70) किला नं. 2, 3, 8, 9, 12, 13, 18, 19, 22, 23 की 2.530 हैक्ट. कमाण्ड खातेदारी में वादी का 1/5 हिस्सा दर्ज रिकॉर्ड है। नकल जमाबंदी सम्वत् 2075–2078 संलग्न वाद पत्र है।

वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 4 के नाम से संयुक्त खाता में कृषि भूमि तहसील पीलीबंगा के चक 4 एस.टी.बी. के खाता सं. 118/11[illegible] 81/367 (70) किला नं. 4 ता 7 व 14 ता 17, 24/0.240, 25/0.127 की 2.3910 हैक्ट. [illegible] कृषि भूमि 1955 पश्चात् में वादी का 1/5 हिस्सा दर्ज रिकॉर्ड है। नकल जमाबंदी सम्वत् 2075–2078 संलग्न वाद पत्र है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2024.05.08 12:00:23 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 4 के नाम से वाद पत्र की दफा 2 व 3 में वर्णित भूमि वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 4 की पैतृक कृषि भूमि है जो वादी एवं प्रतिवादीगण को अपने दादा मानाराम से विरास्तन में प्राप्त हुई है जिसमें वादी का नाम हंसराज पुत्र कृष्णलाल विरास्तन व दस्तवरदारी में दर्ज हो है। जबकि सही नाम भंवरलाल पुत्र कृष्णलाल है लेकिन